

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(समन्वय) म0प्र0 सतपुडा भवन, भोपाल

—०—

क्रमांक समन्वय/भण्डार/ ।।७०

भोपाल,दिनांक ।।६.१.१५

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,( क्षेत्रीय)
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक,(अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र)
3. समस्त क्षेत्र संचालक/ संचालक, राष्ट्रीय उद्यान,मध्य प्रदेश
4. समस्त कार्य आयोजना इकाई मध्यप्रदेश
5. प्राचार्य वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट

विषय:-भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत निविदा आमंत्रित करने के संबंध में निर्धारित वित्तीय सीमाओं का पुनरीक्षण ।

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों के नियम -2 के अन्तर्गत क्रय हेतु वर्तमान में प्रभावशील निविदा आमंत्रित करने हेतु वित्तीय सीमाओं को पुनरीक्षित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 6-15/2012/अ-ग्यारह दिनांक 14.1.2015 से प्राप्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

*(डॉ. एल.क. चौधरी)* ।।५०२।।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(समन्वय)

पृष्ठांकन क./सम/भण्डार/ ।।७।

भोपाल,दिनांक ।।६.१.१५

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी,म.प्र.भोपाल
  2. प्रबंध संचालक,म.प्र. म.प्र.राज्य वन विकास निगम मर्या.भोपाल
  3. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ मर्या.भोपाल
  4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख)
  5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ( मुख्यालय ) म.प्र.भोपाल
  6. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी ( मुख्यालय )
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*(डॉ. एल.क. चौधरी)*  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(समन्वय)



आमन के समस्त विभाग,

समस्त सम्भागीय आयुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त निवालिक्षण,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

मध्यप्रदेश।

Hect (contd.)

प्रधान-आण्डार क्रय नियम के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करने के संबंध में निर्धारित वित्तीय सीमाओं का पुनरीक्षण।

प्रधान  
प्रधान  
21/1/15

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियमों के नियम -2 के अन्तर्गत क्रय हेतु वर्तमान में प्रधावशील निविदा आमंत्रित करने हेतु वित्तीय सीमाओं को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है:-

क्र.	विवरण	निर्धारित सीमा (रूपये में)
1.	विज्ञा कोटेशन के सामग्री का क्रय	रु. 15,000/- तक
2.	विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय	रु. 15,000/- से अधिक पर रु. 1,00,000/- तक
3.	सीमित निविदा	रु. 1.00 लाख से अधिक पर रु. 5.00 लाख तक
4.	खुली निविदा	रु. 5.00 लाख से अधिक

2/ उक्त कंडिका 1 का पालन सुनिश्चित करने हेतु कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में मांग की छोटे-छोटे भागों में खरीद करने हेतु थोड़ी-थोड़ी मात्राओं में विभाजित न किया जावे।

3/ उक्त कंडिका 1 में किये उल्लेख अनुसार क्रय हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावे :-

(1) विना कोटेशन के सामग्री का क्रय:-

क्रयकर्ता विभाग द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित फार्मेट में रिकार्ड किये जाने वाले एक प्रमाण पत्र के आधार पर संविदा दर या निविदायें आमंत्रित किये बैगर रु. 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) मूल्य के सामग्री की खरीद की जा सकती है। संबंधित क्रय सामग्री के लिए यह सीमा संपूर्ण वर्ष के लिए होगी।

Pathan-Its

105/1  
...../2

अपर प्रक्रिया का एक रूप (समाप्त)  
मध्यप्रदेश, झोपाल

Copy to all DPM

"मैं ..... व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट हूं कि खरीदी गयी यह सामग्री अपेक्षित गुणवत्ता और विनिर्देशनों के अनुसार है और इसकी खरीद आपूर्तिकर्ता से उचित कीमत पर की गई है।"

(2) विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय :-

विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा प्रत्येक अवसर पर रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र से अधिक और रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र तक के सामग्री की खरीद विधिवत गठित स्थानीय क्रय समिति, जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक उचित स्तर के तीन सदस्य हों, की सिफारिशों के आधार पर की जा सकती है। विभागीय क्रय समिति द्वारा क्रय के प्रावधान सिर्फ संभाग स्तरीय कार्यालयों तक सीमित रखे जावेंगे अर्थात् विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित क्रय समितियां सिर्फ संभाग स्तरीय कार्यालयों तक के लिए ही गठित की जा सकेंगी। यह समिति, दर की उपयुक्तता, गुणवत्ता और विनिर्देशन सुनिश्चित करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी। क्रय आदेश प्रस्तुत करने की सिफारिश करने से पहले समिति के सदस्य संयुक्त रूप से निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र, रिकार्ड करेंगे।

"प्रमाणित किया जाता है कि हम ..... क्रय समिति के सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस सामग्री के क्रय की सिफारिश की गई है वह अपेक्षित विनिर्देशनों और गुणवत्ता के अनुरूप है तथा इसकी कीमत प्रचलित बाजार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता की सिफारिश की गई है वह प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वसनीय और सक्षम है।"

(3) सीमित निविदा:-

(i) इस पद्धति को तब अपनाया जा सकेगा जब क्रय किये जाने वाले सामग्री का अनुमानित मूल्य एक लाख रूपये से अधिक पर रूपये पाँच लाख तक हो। टैडर डाक्यूमेंट की प्रतियां उन फर्मों को सीधे ही स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर/ई-मेल से भेजी जावेगी, जिन्हें उल्लेखित प्रश्नगत सामग्री के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल किया गया है। सीमित निविदा में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होगी। इसके अतिरिक्त सीमित निविदा का वेब आधारित प्रचार भी किया जाएगा। प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर और अधिक निविदायें प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में निविदाएं प्राप्त करने के प्रयास किये जावेंगे।

~~~~~ ..

.....

राज्य सरकार के इस्तेमाल के लिए आमतौर पर अपेक्षित माल के क्रय के लिए विश्वसनीय स्त्रोत स्थापित करने की दृष्टि से विभाग या राज्य स्तरीय संगठन (उदाहरणार्थ म.प्र. लघु उद्योग निगम या अन्य शासकीय संस्था/निगम) पात्र और सक्षम आपूर्तिकर्ताओं की मदवार सूची तैयार करेगा और दूसरे रखेगा। ऐसे अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को "पंजीकृत आपूर्तिकर्ता" के रूप में जाना जावेगा। जब कभी आवश्यक हो, सभी विभाग इन सूचियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सीमित निविदा के माध्यम से सामग्री के क्रय के लिए प्रथम दृष्ट्या पात्र समझा जावे।

आपूर्तिकर्ता को एक निश्चित अवधि (1 से 3 वर्ष के बीच) के लिए पंजीकृत किया जावेगा जो सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस अवधि के बाद जो आपूर्तिकर्ता पंजीकरण जारी रखना चाहता है, उसे नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। नए आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण पर किसी भी समय विचार किया जा सकेगा बशर्ते कि वे सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हों।

(ii) जहां क्रय का अनुमानित मूल्य रूपये पाँच लाख से अधिक हो, वहां भी निम्नलिखित परिस्थितियों में सीमित निविदा के माध्यम से खरीदी की जा सकती है :-

(क) प्रशासकीय विभाग यह प्रमाणित करता है कि आपातकालीन परिस्थितियां (Emergency circumstances) हैं एवं आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर विज्ञापित निविदा के माध्यम से क्रय न करने में शामिल कोई भी अतिरिक्त व्यय न्यायोचित है।

(ख) प्रशासकीय विभाग द्वारा लिखित में दर्ज किये जाने वाले ऐसे पर्याप्त कारण हैं, जिनसे यह पता चलता है कि विज्ञापित निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय करना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) आपूर्ति के स्त्रोत निश्चित रूप से जात हैं और नए स्त्रोत को सम्भावना उन स्त्रोत (स्त्रोतों) से काफी कम है, जिन्हें प्राप्त किया गया है। सीमित निविदा से क्रय के मामले में (in cases involving purchase of more than Rs 5 lac) तीन परिस्थितियां (क, ख तथा ग) होनी चाहिए।

#### (4) खुली निविदा :-

(i) जब क्रय किये जाने वाले सामग्री का अनुमानित मूल्य 05 लाख रूपये (रूपये पाँच लाख मात्र) और अधिक है, के लिए खुली निविदा का प्रयोग किया जावेगा। व्यापक परिचालन धाले क्ल से कम एक राष्ट्रीय दैनिक सनाचार पत्र एवं तीन राज्य स्तरीय सामाचार-पत्रों में ऐसे मामले में विज्ञापन दिये जावेंगे।

- (iii) जिस विभाग/संगठन की स्वयं अपनी वेबसाईट हो, उसे अपने सभी विज्ञापित निविदाओं को वेब पर प्रकाशित करना होगा और एनआईसी वेबसाईट के साथ लिंक प्रदान करना होगा। समाचार पत्रों के विज्ञापनों में अपनी वेबसाईट का प्रश्नाधीन देना होगा।
- (iv) विभाग/संगठन को अपनी वेबसाईट में निविदा दस्तावेज संबंधी संपूर्ण दस्तावेज दर्ज करने होंगे और वेबसाईट से डाउनलोड किये गये दस्तावेज के प्रयोग के लिए संभावित निविदाकर्ताओं को अनुमति देनी होगी। यदि डाउनलोड किये गये टैंडर संबंधी दस्तावेज की कीमत रखी गई है तो निविदाकर्ताओं को इस आशय के स्पष्ट अनुदेश दिये जावें कि निविदा के साथ डिमांड ड्राफ्ट आदि से राशि का भुगतान किया जावे।
- (v) जहां मंत्रालय या विभाग यह महसूस करता है कि अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देशनों आदि की सामग्री देश में उपलब्ध नहीं हो सकती है, और विदेश से उचित प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव मंगाना भी आवश्यक है तो वह मंत्रालय या विभाग निविदा नोटिस की प्रतियां विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों और भारत में विदेशी राजदूतावासों को भेज सकता है। राजदूतावासों का चयन, ऐसे देशों में अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता की संभावना पर निर्भर करेगा।
- (vi) आमतौर पर निविदा नोटिस प्रकाशन या निविदा के दस्तावेजों के बिन्दी के लिए उपलब्ध होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम तीन सप्ताह में निविदायें प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे। जहां विभाग विदेश से भी निविदायें प्राप्त करना चाहता है, वहां घरेलू और विदेशी निविदाकर्ताओं के लिए कम से कम चार हफ्तों की अवधि रखी जानी चाहिए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(अनिल भारतीय)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

(प्रभाग) क्रमांक एक ६-15/2012/अ-ग्यारह

भोपाल, दिनांक: १५ /१/२०१५

रिटेलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. महालेखाकार म. प्र. गवालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी, गवालियर।
3. माननीय राज्यपाल के सचिव, म.प्र. भोपाल
4. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्डौर
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

